बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 229871 पटना, दिनांक 30/04/2015

ग्रा0वि0-अनु0को0- 78/2014 (पार्ट-2)

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
(अरवल, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा एवं खगड़िया को छोड़कर) ।

विषय:- **सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत Village Develoment Plan (VDP) के निर्माण के संबंध में।**

प्रसंग:- **विभागीय पत्रांक- 222984 दिनांक- 04.03.2015, पत्रांक- 224865 दिनांक- 20.03.2015 एवं पत्रांक- 228116 दिनांक- 13.04.2015 ।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक, आप अवगत हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित किया गया है कि SAGY अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों का Village Development Plan (VDP) दिनांक- 15.05.2015 तक पूर्ण कराते हुए VDP Tracking format को www.saanjhi.gov.in पर अपलोड कराया जाना है ।

इस संबंध में दिनांक- 21.04.2015 से 23.04.2015 तक SIRD, Ranchi में Village Development Plan (VDP) तैयार करने से संबंधित प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में राज्य के सभी प्रभारी पदाधिकारी तथा STOT सदस्य को प्रशिक्षित किया जा चुका है । इस प्रशिक्षण में PRA तकनीक जैसे सोशल मैपिंग, संसाधन मैपिंग, सिजनैलटी मैपिंग, नीड्स मैट्रीक्स, वेन डाईग्राम एवं विजन मैपिंग का प्रयोग करते हुए गॉव की सामुहिक आवश्यकताओं के विवेकपूर्ण मुल्यांकन और उनकी प्राथिमकताओं को निर्धारित करते हुए स्थिति विश्लेषण के माध्यम से ग्राम विकास योजना को तैयार किये जाने से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है । इस हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका, अनुदेश इत्यादि भी सभी प्रभारी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है । प्रशिक्षण के दौरान VDP निर्माण से संबंधित PPT पत्र के साथ संलग्न कर सुलभ प्रसंग हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

विभागीय पत्रांक- 228116 दिनांक- 13.04.2015 के द्वारा Village Development Plan (VDP) के निर्माण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है । पुन: उल्लेख किया जा रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 10.6 के अनुसार सभी चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास योजना (VDP) के निर्माण हेतु वरीयता प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना (VDP) का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसमें सरकारी अधिकारी और बाहरी व्यवसायिक/विशेषज्ञ शामिल किये जाने का प्रावधान है। मार्गदर्शिका के कंडिका 12(घ) में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, SAGY Village Development Plan के निर्माण हेतु जिलों में पदस्थापित DPM (जीविका) तथा नक्सल प्रभावित जिलों (IAP Districts) में पदस्थापित PMRDF का सक्रिय रूप से सहयोग लेगें । कंडिका 10.7 के अनुसार ग्राम विकास योजना (VDP) का प्रारूप, चर्चा और मंजूरी के लिए ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जायेगा । कंडिका 10.8 के अनुसार ग्राम विकास योजना (VDP) की स्वीकृति जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा संसद सदस्य के टिप्पणियों और सलाहों पर विधिवत रूप से विचार करते हुए उनकी उपस्थिति में किया जायेगा ।

आपको पूर्व में जानकारी दी गई है कि Village development plan के निर्माण के दौरान प्रगति की समीक्षा हेतु भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दो VDP Tracking Template तैयार किया गया है (भारत सरकार का पत्र संलग्न)। प्रथम प्रपत्र Village development plan निर्माण के दौरान सभी श्रेणियों में कराये जाने वाले कार्यो/योजनाओं, बजट प्रावधान, पूर्णता की समय सीमा तथा योजनाओं के प्राथमिकता के निर्धारण से संबंधित है वहीं द्वितीय प्रपत्र के लिये कराये जाने वाले सभी कार्यो/योजनाओं के Milestones एवं उसकी समय-सीमा, जबावदेही एवं परिणाम से संबंधित है। Village development plan तैयार करते समय VDP Tracking प्रपत्र में योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन दोनों प्रपत्रों को MIS पर अपलोड कराया जाना है ।

ग्राम विकास योजना (VDP) के निर्माण हेतु राँची में आयोजित प्रशिक्षिण के दौरान श्रीमती अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्यन की समीक्षा भी की गई। उनके द्वारा विशेष रूप से ग्राम पंचायत में जागरूकता बढाने एवं महौल तैयार करने और सामाजिक एकजुटता से संबंधित प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ भारत सरकार को नहीं भेजे जाने पर खेद प्रकट किया गया है। संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में मात्र 21 चयनित ग्राम पंचायतों के द्वारा ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है साथ ही इससे संबंधित फोटोग्राफ मात्र 13 चयनित ग्राम पंचायतों के द्वारा ही भेजे गये हैं। शेष ग्राम पंचायतों द्वारा या तो विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है या प्रतिवेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं (प्रतिवेदन संलग्न) है। उनके द्वारा बेस लाईन सर्वे की इंट्री की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई है।

इस क्रम में अनुरोध है कि जिन जिलों से जागरूकता बढाने एवं महौल तैयार करने और सामाजिक एकजुटता से संबंधित अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ मेल किया गया है, वे पुन: संशोधित प्रतिवेदन एवं उससे संबंधित फोटोग्राफ को अविलम्व e-mail id-pmusaanjhi@gov.in पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय एवं इसकी सम्पुष्टि (Confirmation) उपर्युक्त e-mail तथा दूरभाष संख्या- 09990115895 पर सुश्री उमा मूर्ति, Strategic Planning Associate, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से भी आवश्यक रूप से कर लिया जाय। उपर्युक्त प्रतिवेदन को भारत सरकार को भेजे जाने के साथ-साथ pmusaanjhibihar@gmail.com पर भी भेजा जाय।

चूकि Village development plan का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करा लिया जाना है इसलिए यह आवश्यक है कि चयनित पंचायतों में इसके निर्माण हेतु तिथियों का निर्धारण कर लिया जाय जहाँ PRA तकनीक जैसे सोशल मैपिंग, संसाधन मैपिंग, सिजनैलटी मैपिंग, नीड्स मैट्रीक्स, वेन डाईग्राम एवं विजन मैपिंग का प्रयोग करते हुए गॉव की सामुहिक आवश्यकताओं के विवेकपूर्ण मुल्यांकन और उनकी प्राथिमकताओं को निर्धारित किया जा सके। Village development plan के निर्माण हेतु तिथियों का निर्धारण कर इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय ताकि इसका पर्यवेक्षण विभाग स्तर से भी किया जा सके।

अनुरोध है कि चयनित ग्राम पंचायतों में Village development plan के निर्माण हेतु तिथियों का निर्धारण कर लिया जाय, एवं बेस लाईन सर्वे की डाटा इंट्री कराते हुए एक सप्ताह के अंदर इसे फ्रीज भी कराया जाय ताकि बेस लाईन सर्वेक्षण की डाटा इंट्री की पूर्णता MIS पर भी प्रदर्शित हो सके तथा साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में Village development plan का निर्माण एवं उसे MIS पर अपलोड किये जाने का कार्य, दिये गये समय-सीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार

(प्रदीप कुमार) 30.4.15

सचिव

ज्ञापांक 229871 पटना, दिनांक 30/04/2015

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, (अरवल, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा एवं खगड़िया को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रदीप कुमार

सचिव 30.4.15

ज्ञापांक 229871 पटना, दिनांक 30/04/2015

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका BRLPS को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि SAGY की मार्गदर्शिका की कंडिका 12(घ) के अनुसार जिलो में पदस्थापित जीविका के DPM एवं अन्य पदाधिकारियों को भी VDP निर्माण में सक्रिय सहयोग प्रदान करने हेतु निदेशित किया जाय।

प्रदीप कुमार

सचिव 30.4.15

ज्ञापांक 229871 पटना, दिनांक 30/04/2015

प्रतिलिपि:- श्रीमती अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रदीप कुमार

सचिव 30.4.15